

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।**

पत्रांक :- 565

दिनांक :- 21.5.19

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय:- मौजा-पहाड़पुर थाना गांवा थाना नं० 164 जिला-गिरीडीह पी०एफ० में पहाड़पुर स्टोन डिपोजिट (Deposit) हेतु कुल 4.856 हे० वनभूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग:- 1. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरीडीह का पत्रांक 239 दिनांक 19.02.2018
2. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 246 दिनांक 14.02.2019

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उक्त परियोजना हेतु कुल 4.856 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव online तथा Hard copy की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय में प्राप्त हुई थी। प्रस्ताव की समयक जांचोपरान्त कतिपय त्रुटियाँ पाई गई। इस हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 370 दिनांक 31.03.2018 द्वारा कुल 09 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी, जिसका निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 246 दिनांक 14.02.2019 (प्रासंगिक पत्र 02) द्वारा प्राप्त हुआ है। वन संरक्षक गिरीडीह एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत है:-

1. प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति रकबावार/प्रमंडलवार निम्नवत् है :-

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा	जंगल-झाड़ी वनभूमि का रकबा	कुल रकबा	वनस्पति घनत्व
1	गिरीडीह पूर्वी	4.856	Nil	4.856	0.2

2. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में online आवेदन दर्ज कर समर्पित की गई है।

3. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्लॉटवार/मौजावार/रकबावार/निम्नवत् है :-

गिरीडीह पूर्वी वन प्रमंडल

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	मौजा	थाना एवं थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा एकड़ में
01	गिरीडीह पूर्वी	पहाड़पुर	गांवा / 164	01	16	8
02	वही	वही	वही	02	18	4
कुल :-						12.00 (एकड़ or 4.856 हे०)

अनु०-01

4. प्रस्तावित वनभूमि का Total Breack – up of Land निम्नवत है:-

क्र० सं०	विवरण	रकबा हे० में
1.	खनन हेतु	2.371
2.	रोड	0.005
3	सेफ्टी जोन	0.950
4.	Unused	1.584
कुल :-		4.856

अनु०-2

5. प्रस्ताव के साथ सहायक खनन पदाधिकारी गिरीडीह द्वारा अनुमोदित माइनिंग प्लान संलग्न है।

अनु०-M

6. प्रस्ताव के साथ पार्ट-II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरीडीह पूर्वी वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरीडीह का मंतव्य दर्ज है। साथ ही संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी गिरीडीह पूर्वी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

7. पार्ट-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।

8. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है। **अनु०-A**

9. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप संलग्न है। **अनु०-B**

10. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced मैप संलग्न है। अनु०-5

11. प्रस्तावित वनभूमि में पड़ने वाले वृक्षों की कुल संख्या Nil है,

12. वन प्रमंडल पदाधिकारी गिरीडीह पूर्वी ने अपने Part II के कंडिका 11 (1) में सूचित किया है कि U/A द्वारा वन संरक्षण अधिनियम का किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।

13. प्रस्ताव के साथ लागत-लाभ विश्लेषण संलग्न है। **अनु०-3**

14. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपायुक्त, गिरीडीह का पत्रांक 1141 दिनांक 26.08.2017 द्वारा प्राप्त है। **अनु०-F**

15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है।

अनु०-4

16. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कुल 4.856 हे० के बदले 5.13 हे. गैर वनभूमि का चयन किया गया है, जो निम्नवत् है :-

क्र० सं०	वन प्रमंडल पदाधिकारी का नाम	मौजा का नाम	थाना / थाना नं०	प्लॉट सं०	चयनित गैर वनभूमि का रकबा
1.	गिरीडीह पूर्वी	धर्वे	गांवा / 242	12,16,349,351, 352,354	3.35
2.	वही	कुम्भयात्री	गांवा / 262	6,7,8,12,14,15,16, 17,19,21,22,23,24, 25,26,27	1.35
कुल :-					5.13

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का नक्शा, DGPS, KML file, संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है। अनु०-7

17. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, गज आरक्ष एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है।
18. प्रस्ताव के साथ CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्ति हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।
19. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है, जिससे अधोहस्ताक्षरी भी सहमत हैं।
20. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 4.856 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज-1 प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

K. B.
21.5.19

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

PAHARPUR STONE DEPOSIT 4.856_ha. FOR MINING

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

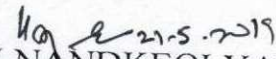
(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 4.856 ha. Forest land.

Date :- 21.05.2019

Place :- Ranchi.

Signature


(SHASHI NANDKEOLYAR)

Nodal Officer
Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)